न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 52/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी, पुलिस थाना
आरजीटी रावली नाडी नगर
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
श्री बुधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट
निवासी हुडों का तला अणखिया पुलिस
थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अप्राथी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 26.11.2024 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इस न्यायालय आदेश दिनांक 21.03.2022 को जब्तसुदा बायोडीजल व ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर जब्त सरकार का आदेश पारित किया गया। इसके विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा (राज.) के समक्ष प्रस्तुत कर फौजदारी निगरानी संख्या 32/2024 अनवान बुधाराम बनाम राज्य प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निगरानी ... स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2022 अपास्त कर पक्षकारान को सुनवाई अवसर दिये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अनुसरण में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली: अभिलेख से बरामद की जाकर पुनः नम्बर पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 22.09.2021 को सीओ गुडामालानी द्वारा पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर में रिपोर्ट पेश की गई कि दिनांक 21.09.2021 को श्री मोहनलाल हैड कानि 896 पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर ने जरिये टेलीफोन अवगत कराने पर मेगा हाईवे पर जालीखेडा गोलाई की होटल में एक ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर जिसके साइड में N-K-ENTERPRISES लिखा हुआ था, खडा पाया गया। पुलिस पार्टी को देखकर एक शख्स बबूल की झाडियों में भाग गया, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। उक्त जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाले टैंकर में 1100 लीटर अवैध डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। उक्त टैंकर में पीछे डीजल डालने की नोजल मय इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ था। इस पर प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच कर नोजल को चैक किया तो उसमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसी सुगंध आ रही थी। उक्त वाहन के अन्दर पेट्रोलियम जैसा पदार्थ भरकर परिवहन व बेचान करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज या लाईसेंस भी नहीं होना पाया गया। उक्त ट्रेक्टर के पीछे लगने वाले टैंकर में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया तथा उसी अनुसार उक्त टैंकर में से एक अन्य कंट्रोल सैम्पल भी लिया जाकर सीलबंद किया गया। टैंकर को चैक किया और टैंकर में डीजल डालने की नोजल इलेक्ट्रोनिक मीटर सहित सीलबंद हालत में टैंकर को जब्त किया गया। उक्तानुसार सीओ [illegible] की रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 113 दिनांक 22.[illegible] वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण [illegible] प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर व अवैध बायोडीजल के संबंध में मेगा हाईवे,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होटल–ढाबों से अज्ञात मुलजिम को नामजद कर मुलजिम बुधाराम को दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध पेट्रोलियम पदार्थ, परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, एफएसएल कागजात, रोड सर्टिफिकेट, पूछताछ मुलजिम, मुलजिम द्वारा प्रदत्त धारा 27 की इत्तला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बुधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट उम्र 25 साल पेशा ड्राइवरिंग निवासी हुडों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी बुधाराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1100 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपने ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना अपराध नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरस्त कर आरोप से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल व जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बुधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट उम्र 25 साल पेशा ड्राइवरिंग निवासी हुडों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपने ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना डीजल पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध [illegible] में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा [illegible] दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टैंकर के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी नगर, जिला बाडमेर को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा 1100 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर अप्रार्थी को सुपुर्द करें।
6. आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested